UPAD010171232024

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), प्रयागराज।

विशेष सत्र परीक्षण संख्या– 240/2024

कम्प्यूटर नं0– 200240/2024

राज्य **बनाम** **विनय सिंह**

दिनांक/08.08.2025

निस्तारण उन्मोचन प्रार्थना पत्र 10ख

1. प्रकरण के अभियुक्त **विनय कुमार** की ओर से प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 10ख पर बचाव पक्ष एवं अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

2. प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि वादिनी मुकदमा ने अपने प्रार्थना पत्र 156(3) सीआर0पी0सी0 व 161 सीआर0पी0सी0 व धारा 164 सीआर0पी0सी0 में आलग–अलग बातें कहीं हैं, जिसमें काफी अन्तर है। वादिनी मुकदमा धन लाभ लेने के लिए उपरोक्त सत्र परीक्षण में प्रार्थी को फर्जी तथ्यों के आधार पर नामजद अभियुक्त बनाया है। वादिनी तीन बच्चों की मॉ एवं शादी शुदा महिला है तथा अपने अधिवक्ता के सिखाने पढ़ाने व धन लाभ लेने की गरज से मुकदमा कायम करवाया है, जिसके आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध धारा 376 आई0पी0सी0 नहीं बन रहा है। चूॅकि उन्होंने अपने धारा 164 सीआर0पी0सी0 के बयान में यह कहा है कि मेरे साथ एक बार जबरदस्ती किया था फिर हम दोनों के सहमति से सम्बन्ध बनाते थे। हमारे यहॉ शराब बनती है वहॉ बहुत से लोग आते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वादिनी ने जान बूझ कर और पैसों की लालच में झूॅठा मुकदमा कायम करवाया है, जो निरस्त होने योग्य है। माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था है कि अगर शादीशुदा महिला किसी व्यक्ति से सम्बन्ध बनाती है तो वह धारा 376 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व पत्रावली का अवलोकन कर प्रार्थी को उन्मोचित करने की कृपा करे।

3. प्रार्थना पत्र का अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी/विशेष अभियोजन अधिकारी ने विरोध करते हुए यह कहा कि पत्रावली पर संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को विचारण हेतु तलब किया गया है। अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचन हेतु पर्याप्त साक्ष्य/सामग्री उपलब्ध है। प्रार्थना पत्र खण्डित किये जाने की मांग की गयी है।

4. प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य एवं उभय पक्ष के तर्कों के आलोक में पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा/पीड़िता द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द0 प्र0 सं0 पर न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन सम्बन्धित थाना एयरपोर्ट में दिनांक 26.05.2024 को 12.06 बजे इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि उसकी गांव के विनय सिंह दबंग और माफिया हैं जो उसको जबरजस्ती करके आये दिन छेड़खानी एवं गलत नियत से देखता एवं उसके घर में दिनांक 20.03.2021 को घुस कर बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दे रहा था। उसके जबरदस्ती बलात्कार करने से उसका गर्भ ठहर गया था और एक लडके का जन्म हुआ, धमकी दिया कि चमारिन मादरचोद कहीं शिकायत किया तो हम ठाकुर हैं तुम्हे जान से मार देंगे और गाली गलौज किया और कहा कि जबरदस्ती करुॅगा जो करना हो कर लेना। दौरान विवेचना वादिनी एवं साक्षीगण ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है।

5. आरोप के बिन्दु पर निम्न निर्णयज विधियों का अवलोकन आवश्यक है :–

(i). स्टेट आफ देहली बनाम ज्ञान देवी व अन्य 2001(1) जे0आई0सी0 229 माननीय उच्चतम न्यायालय में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित है कि आरोप के सम्बन्ध में न्यायालय को अपराध हेतु प्रथम दृष्ट्या मामला मात्र देखना है।

(ii). श्रीमती संगीता देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2005(2) जे0आई0सी0 589 इलाहाबाद में यह स्पष्ट विधि सिद्धान्त प्रतिपादित है कि आरोप के बिन्दु पर विवेचक द्वारा एकत्रित साक्ष्य के आधार पर ही प्रथम दृष्ट्या मामला किसी अपराध के सम्बन्ध में बनना देखा जायेगा।

(iii). भारत संघ बनाम प्रफुल्ल कुमार सामल ए0आई0आर0 1979 एससी 366 में यह अवधारित है कि आरोप के स्तर पर केवल प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है या नहीं ? आंकलित होना है। अभियुक्त के विरूद्ध गम्भीर संदेह उत्पन्न हो रहा हो तथा यदि दो दृष्टिकोण भी उपलब्ध हो तो यदि कुछ संदेह अभियुक्त के विरूद्ध है तो ऐसी दशा में आरोप विरचन हेतु मामला यथेष्ट है।

(iv). सोमा चक्रवर्ती बनाम राज्य द्वारा सी0बी0आई0 2007(3) सी0सी0एच0सी0 2015 माननीय उच्चतम न्यायालय में यह अभिनिर्धारित है कि आरोप के स्तर पर अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री के प्रमाणिक मूल्य की जांच नहीं की जा सकती। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत/संकलित साक्ष्य को आरोप विरचन के प्रक्रम पर सत्य के रूप में स्वीकार करना होगा। न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करना होगा तथा यह समाधान करना होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया जाना सम्भव है ?

(v). **महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम सोमनाथ व अन्य (1996)4 एस0सी0सी0 659** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि यह उपधारित करने का आधार है कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है तो न्यायालय न्यायोचित रूप से यह अभिलिखित कर सकती है कि उसके विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला विद्यमान है।

(vi) इसी प्रकार **दिल्ली राज्य बनाम गायत्री देवी (2001) ए0सी0सी0 39 उच्चतम न्यायालय** में पुनः यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित है कि आरोप विरचन के समय न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन नहीं करना है, अपितु पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुक्रम में मात्र यह देखा जाना है कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है या नहीं ?

6. प्रकरण के तथ्यों तथा दौरान जांच संकलित साक्ष्य एवं उपर्युक्त विधि व्यवस्थाओं में निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में न्यायालय यह पाती है कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा/पीड़िता के साथ जबरदस्ती नाजायज शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया। साथ ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित किये जाने का भी प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य आरोप के स्तर पर उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण केस डायरी के अवलोकन से यह विदित होता है कि प्रकरण में विवेचक द्वारा विवेचनोपरान्त आवेदक/अभियुक्त विनय सिंह के विरूद्ध धारा 376, 504, 506, 452 भा0 द0 सं0 व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया था। अतः आवेदक/अभियुक्त विनय सिंह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376, 504, 506, 452 भा0 द0 सं0 व 3(2)(V) एस.सी./एस.टी. एक्ट के तहत आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित होगा। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त विनय सिंह द्वारा प्रस्तुत 10ख उन्मोचन प्रार्थना पत्र निराधार होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(I). आवेदक/अभियुक्त **विनय सिंह** द्वारा प्रस्तुत उन्मोचन प्रार्थना पत्र 10ख निरस्त किया जाता है।

(II). पत्रावली वास्ते विरचित किये जाने आरोप दिनांक 22.08.2025 को पेश हो।

(मृदुला मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट),
प्रयागराज।
JO Code-UP6187

दिनांक/08.08.2025